# प्रशासनिक कर्मियों का
# महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
# पर
# एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

## आई.सी.आर.जी परियोजना
## अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

बिहार सरकार

IPE GLOBAL
Expanding Horizons. Enriching Lives.

pwc

RICARDO Ricardo Energy & Environment

MANCHESTER 1824
The University of Manchester

इस प्रशिक्षण पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य मनरेगा के प्रशासनिक कर्मियों जानकारी व आई. सी.आर.जी परियोजना के कार्यप्रणाली के संबंध में जिलों में कार्यरत प्रशासनिक कर्मियों कर्मियों को अवगत कराना है।

*रूपांकित एवं विकसितः आई.सी.आर.जी टीम, बिहार*

*सहयोगकर्त्ताः श्री सी.पी खंडूजा, डायरेक्टर (सामाजिक वानिकी) सह मनरेगा संयोजक*

## तालिका


| क्रम | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| | **प्रथम सत्र** | |
| 1 | आई.सी.आर.जी परियोजना | 03 |
| 2 | प्रशिक्षण का उद्देश्य | 04 |
| | **द्वितीय सत्र** | |
| 3 | नालंदा जिले/प्रखंड का विश्लेषण | 05 |
| 4 | समूह कार्य | |
| | **तृतीय सत्र** | |
| 5 | जलवायु परिवर्तन | 07 |
| 6 | ग्राम स्तरीय जलवायु अनुकूल कार्य | 10 |
| | **चौथा सत्र** | |
| 7 | समूह कार्य– कार्ययोजना तैयार करना | 12 |

## आई.सी.आर.जी परियोजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलेपमेंट द्वारा संयुक्त रूप से देश के 3 पिछडे राज्यों के 103 पिछड़े प्रखंडों का चयन Infrastructure for Climate Resilient Growth (ICRG) परियोजना के तहत मनरेगा कार्यों को जलवायु अनुकूलन बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इनमें से बिहार राज्य के भी 35 प्रखण्डों का चयन किया गया है।

ऐसा पाया जा रहा है, कि आई.सी.आर.जी के लिए चयनित प्रखंडों में जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संसाधनों का आजीविका पर प्रभाव में निरंतर कमी देखी जा रही है। जहां उत्तरी बिहार में बाढ़ की आशंका बढ़ती चली जा रही है, वहीं दक्षिण बिहार में अत्यधिक सूखा के चपेट में आने के कारण इसका नकारात्मक प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक पड़ रहा है। किसानों की कृषि पर जोखिम बढ़ता जा रहा है। सिंचाई क्षमता में गिरावट एवं जल संरक्षण में ध्यान केन्द्रित ना होने के कारण कृषि अर्थव्यवस्था में कमी एवं राज्य में गरीबी स्तर बढ़ता जा रहा है।

आई.सी.आर.जी परियोजना का मुख्य उद्देश्य जलवायु अनुरूप उल्लेखित प्रखंडों के कमजोर समुदायों के साथ, मनरेगा के तहत, गुणवत्तायुक्त, टिकाऊ एवं जलवायु अनुरूप परिसंपत्तियों का निर्माण करना है।

### आई.सी.आर.जी परियोजना के मुख्य उद्देश्य–

- ❖ राज्य स्तर पर मनरेगा कार्यों में क्रियान्वयन, कार्ययोजना एवं आकलन में सुधार स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए लाना।
- ❖ कार्यक्रम में सहयोगी तकनीकी संस्थान एवं संबंधित लोगों का क्षमतावर्धन करना, जिससे मनरेगा कार्य की गुणवत्ता बढ़े।
- ❖ मनरेगा कार्यप्रणाली एवं कार्यप्रक्रिया को मजबूत बनाना ताकि आजीविका में सुधार के साथ टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण बेहतर कार्ययोजना के तहत हो।

प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन को एकीकृत रूप से देखना एवं सरकार के विभिन्न योजनाओं के साथ मनरेगा कार्यों को जलवायु अनुरूप बनाने हेतु 3 क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव को जानना आवश्यक है।

1. **पर्यावरण पर प्रभावः** इस बात के प्रमाण हैं कि प्राकृतिक संसाधन के जो कार्य किए जा रहे हैं उसका पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह कार्यक्रम इस पर जोर देता है कि इस प्रभाव को कैसे बढ़ाया जाए जिससे लोगों की ग्राम स्तरीय कार्यों में रूचि बढ़ सके। इसके लिए ग्राम स्तर पर संरचना का निर्माण, वहां के

जलवायु प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एवं कार्यस्थल का चयन लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए किया जाना आवश्यक है।

2. **परिसंपत्तियों पर प्रभाव**: यह सच्चाई है कि मनरेगा में निर्मित परिसंपत्तियां अधिक टिकाऊ तथा उपयोगी नहीं होती है। इस दशा में यह जरूरत है कि मनरेगा में परिसंपत्तियों का निर्माण **कहाँ** की जाए, **कैसे** की जाए, जिससे कि ये परिसंपत्तियां लंबे समय तक उपयोगी एवं जलवायु अनुकूल रहे।

3. **सामुदायिक प्रभाव**: गिरता हुआ उत्पादन स्तर, जल संकट और बढ़ती हुई गरीबी इस बात का प्रमाण है कि मनरेगा कार्यक्रम के तहत बन रही परिसंपत्तियों के निर्माण में सामुदाय को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिस कारण समुदाय का झुकाव एवं सहभागिता इस कार्यक्रम के प्रति कम होती जा रही है।

उपरोक्त तीनों प्रभाव से बचने के लिए जलवायु अनुरूप कार्यों को करना, महिला एवं पिछड़े वर्गों के साथ सहभागिता तथा उनका क्षमतावर्द्धन करना आई.सी.आर.जी परियोजना का मूल ध्येय है।

मनरेगा योजना अन्तर्गत एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है –

**अ. संरचना निर्माण**

- वाटरशेड सिद्धांत पर कार्ययोजना बनाना
- सामाजिक भागीदारिता से सही स्थल एवं उपयुक्त संरचना का चयन
- बुनियादी सुविधा के साथ संरचना निर्माण
- एकीकृत विकास की सोच के साथ स्थान का चयन

**ब. आजीविका उन्नयन**

- आजीविका को बढ़ावा देना
- वर्तमान आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव

**स. प्रकिया**

- कार्ययोजना बनाते समय सामुदायिक सहभागिता, महिला एवं पिछड़ी जाति के लोगों की सहभागिता एवं स्वामित्व को ध्यान में रखें।

## प्रशिक्षण का उद्देश्य

इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य मनरेगा कर्मियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों को आई.सी.आर.जी कार्यप्रणाली की जानकारी देना।

आई.सी.आर.जी परियोजना के तहत महिला एवं पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चत करते हुए मनरेगा लेबर बजट में अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधन की परिसंपत्तियों का निर्माण हो इसपर विशेष बल दिया जा रहा है। साथ ही इन निर्मित परिसंपत्तियों का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों को ज्यादा मिल सके इसके लिए इनके क्रियान्वयन में इनकी उचित भागीदारिता पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये परिसंपत्तियां टिकाऊ एवं जलवायु अनुकूलित हो यह भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

- प्रशिक्षण कार्यक्रम में सामूहिक अभ्यास कराया जाएगा जिसमें योजना की जानकारी निकल कर सामने आएगी, जिसके आधार पर परिसंपत्तियों का चयन करते हुए एकीकृत कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

- पंचायत/ग्राम स्तर पर महिला एवं पिछड़े समूह की पहचान करना और सूचीबद्ध करना।

- ग्राम पंचायत योजना बनाते समय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के कार्यों को प्राथमिकता देना।

- महिला तथा पिछड़े वर्गों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में उनकी सहभागिता बढ़ाना।

- अन्य विभागीय योजनाओं को इन समूहों से जोड़ने हेतु दिशा निर्देश तय करना।

- महिला समूह को आजीविका गतिविधि से जोड़ना एवं पिछड़े वर्गों को अन्य शासकीय योजनाओं से जोड़ना तथा उनकी दक्षता बढ़ाना।

## वर्तमान (2016–17), बिहार में मनरेगा कार्य की स्थिति

बिहार में 38 जिले, 534 प्रखंड, 8,492 ग्राम पंचायत एवं 44,874 गांव है जिसमें आई.सी.आर.जी द्वारा चयनित 8 जिले, 35 प्रखंड, 522 ग्राम पंचायत एवं 3,076 गांव हैं। बिहार में 35.99 लाख सक्रिय जॉब कार्ड है जिसमें 3,451 घर ऐसे हैं जिसको 100 दिनों का रोजगार मिला है। कुल 11.55 लाख घर के लोगों ने मनरेगा में कार्य किया है, जिसमें 42 प्रतिशत महिला एवं 24 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों की भागीदारी है। पूरे भारत में 47.65 प्रतिशत प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन का कार्य मनरेगा अंतर्गत किया गया है, वहीं बिहार के आई.सी.आर.जी प्रखंडों में 28.6 प्रतिशत ही कार्य हुआ है।

गंगा नदी बिहार को दो क्षेत्र उत्तर बिहार (53.3 हजार वर्ग किमी) एवं दक्षिण बिहार (40.90 हजार वर्ग किमी) में विभाजित करती है। यहां के मिट्टी, तापमान, वर्षा और भौगोलिक दशा के आधार पर बिहार चार जलवायु क्षेत्र में विभाजित है।

जोन 1 (उत्तर पश्चिम): पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं बेगुसराय है।

जोन 2 (उत्तर पूर्व): कटिहार

जोन 3 (दक्षिण पूर्व): बांका

जोन 4 (दक्षिण पश्चिम): नालंदा एवं गया

मनरेगा के अंतर्गत राज्य में अकुशल श्रमिक को रोजगार, आजिविका एवं परिसंपत्तियों का निर्माण करना है मगर क्या परिसंपत्तियाँ जलवायु अनुकूल एकीकृत विकास के उद्देश्य को प्राप्त कर रही है कि नहीं, इस बात का ध्यान देना होगा। इसके लिए जरूरी होगा कि मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों में पानी, मानव, भूमि, पशुधन जंगल के विभिन्न धटकों के बीच संबंधों में सुधार, जलवायु के दशा के आधार पर क्रियान्वयन योजना, विभागीय सामान्जस्य एवं तकनीकी योग्यता बढ़ाना है।

प्रखंडवार जिले का वर्ष 2016–17 में मनरेगा स्थिति इस प्रकार है–

| मापदंड/प्रखंड | प्रखंड 1 | प्रखंड 2 | प्रखंड 3 | प्रखंड 4 | बिहार |
|---|---|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाति प्रतिशत | | | | | |
| महिला मानवदिवस प्रतिशत | | | | | |
| कुल लिए गए कार्य<br>(नए एवं बचे हुए कार्य) | | | | | |
| जारी कार्य संख्या | | | | | |
| पूर्ण कार्य संख्या | | | | | |
| प्रतिशत प्राकृतिक संसाधन इकाई से जुड़े नरेगा कार्य | | | | | |
| कैटेगरी बी कार्य | | | | | |

## समूह कार्य 1

इस समह कार्य का मुख्य उद्देश्य मनरेगा में कार्य का तरीका, आने वाली समस्या और महिला व पिछड़ी जाति की भागीदारी बढ़ाने के तरीके का पता लगाना।

## जलवायु परिवर्तन क्या है?

गर्मी में तापमान में बढ़ोत्तरी, ठंड में तापमान में कमी, बरसात में अधिक/कम/असमय वर्षा होना। सामान्य प्राकृतिक बदलाव को हम स्वीकार करते हैं एवं उसके लिए तैयार रहते हैं, लेकिन यह बदलाव यदि सामान्य से अधिक हो, जो हमारे गणना एवं अपेक्षा के अनुरूप ना हो और जिसका प्रभाव लंबे समय तक रहे तो उसे जलवायु परिवर्तन कहा जाता है।

## जलवायु परिवर्तन के कारण

हमारे अधिकतर ग्रामीण कार्य से कार्बनिक गैसों का उत्सर्जन होता है। ये गैसें सूर्य की किरणों को धरती के वायुमंडल के अंदर तो आने देती है परंतु बाहर नहीं जाने देती है। इससे धरती के तापमान में वृद्धि हो जाती है। ये जलवायु को प्रभावित करने के कारकों (तापमान, वर्षा, हवा) को असर करते हैं। इसे विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन होना कहते हैं।

## जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभाव

- सामान्य स्थिति से स्थानीय मौसम में अधिक बदलाव।
- भारत के अधिकतर क्षेत्रों में बार बार सूखा पड़ने की स्थिति में बढ़ोत्तरी।
- बाढ़ की स्थिति आना।
- तय सीमा में वर्षा का वितरण सही ना होना।
- 65% कृषि आधारित लोगों पर प्रभाव, आजीविका, जल स्त्रोत, बिमारियों का प्रकोप हो जाता है। जिसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं।
- प्राकृतिक संसाधनों के बढ़ते हुए दुरूपयोग से कार्बनिक गैसों का उत्सर्जन ज्यादा होना।
- उपयोगी एवं जलवायु अनुकूल संसाधन को बढ़ाने के तरीकों पर कार्य होना।
- लगातार फसल पैदावार में कमी आना।

### ग्राम सभा एवं लेबर बजट

1. ग्राम सभा की बैठक निर्दिष्ट तरीके के आधार पर आयोजिन करना।
   योजना बनाने में निम्न बातों का ध्यान रखें–
   क. मांग के आधार पर इस्टीमेट तैयार करना
   ख. आवश्यकता के आधार पर चयन
   ग. संसाधन के आधार पर चयन
   ध. वार्षिक प्रारूप को तैयार करना
   न. ग्राम सभा से अनुमोदन करवाना

2. जिला परिषद के साथ निम्न कार्य के लिए पारस्परिक संबंध बनाना जैसे– कृषि उत्पादन, भूमि संरक्षण, बागवानी, पशुपालन, उद्योग एवं प्रशिक्षण।

3. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी पत्रांक 9291 में मनरेगा में ग्राम पंचायत का दायित्व

| **कार्य** | **समय** |
|---|---|
| ग्राम सभा का आयोजन | 15 अगस्त से 02 अक्टूबर |
| विशेष ग्राम सभा में वार्षिक कार्य नियोजन | 2 अक्टूबर से 30 दिसम्बर |
| वार्षिक कार्य नियोजन को प्रखंड में जमा करना | 5 दिसम्बर |
| प्रखंड स्तरीय प्लान को लेबर बजट के साथ जिला स्तर पर जमा करना | 20 दिसम्बर |
| जिला स्तरीय प्लान एवं लेबर बजट के साथ प्रस्तुतीकरण करना | 20 जनवरी |
| जिला स्तरीय कार्यक्रम को राज्य स्तर पर जमा करना | 31 जनवरी |
| अधिकृत समिति द्वारा दी गई लेबर बजट को पारित करना | फरवरी |
| लेबर बजट की पारित सूची को राज्य, जिला, प्रखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर तक उपलब्ध करना | 31 मार्च |

सभी ग्राम पंचायतों में वार्ड सभा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी–

4. भारत सरकार द्वारा मजदूरी मद की 100 प्रतिशत राशि एवं सामग्री मद की 75 प्रतिशत राशि तथा राज्य सरकार द्वारा सामग्री मद की 25 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है। श्रम एवं सामग्री में उपलब्ध कराए जाने वाले राशि का अनुपात 60:40 सीमा होगी।
5. श्रम बजट माहवार बनाना होता है। श्रम बजट=काम के मांग के पूर्वानुमान/मानवदिवस×100×न्यूनतम मजदूरी दर ×1.66(सामग्री हेतु)×1.06 (आकस्मिक मद हेतु)
6. श्रेणीवार कार्य को सूचीबद्ध करना

| श्रेणी | कार्य |
|---|---|
| केटेगरी अ– सामुहिक प्राकृतिक संसाधन के कार्य | जल एवं भूमि संरक्षण<br>सिंचाई हेतु पुराने जल संचय संरचना का सफाई<br>भूमि सुधार कार्य हेतु सामूहिक कार्य<br>जैसे मिटटी के बांध, तालाब, वृक्षारोपण, आहर पाईन |
| केटेगरी ब– सामुहिक एवं व्यक्तिगत संरचना | सिंचाई हेतु कुआं एवं खेत तालाब का कार्य<br>कृषि वानिकी<br>पशु शेड<br>जैविक खाद<br>सामुहिक चारागाह प्रबंधन |
| केटेगरी स– सामुहिक संरचना के लिए एन.आर.एल.एम को जोड़ना | जैविक खाद से उत्पादन बढ़ाना एवं फसल कटाई के बाद संग्रहण हेतु कार्य |
| केटगरी द–ग्राम स्तरीय संरचना | ग्राम स्तरीय खाद्य संग्रहण संरचना का निर्माण |

## ग्राम स्तरीय जलवायु अनुकूल कार्य

**मिट्टी के बांध–** बांध कम लागत की संरचना है, जो रन ऑफ को रोकने और मिटटी के कटाव को नियंत्रित करने में सहायता देता है।

- इनको खेतों के ढ़लान के पास बनाना चाहिए। चयनित भूमि में कलस्टर रूप से कार्य करें, बंजर भूमि में ज्यादा कार्य की प्राथमिकता देना चाहिए।
- हमेशा मिट्टी का बांध बनाने के लिए ऊपर भाग वाले भूमि की खुदाई करके बांध बनाएं। अगर भूमि में झाड़ी या पेड़ पौधे हो तो उन्हें ना काटे।
- भूमि के ढ़लान के आधार पर एक बांध से दूसरे बांध की दूरी का निर्धारण करें।
- खोदी गई मिट्टी को बांध गड्ढे से 30 से 50 सेमी दूरी पर डालना चाहिए।
- बांध के उपरी सतह पर घास का रोपण करना चाहिए।

**तालाब–** खेत तालाब, जलमग्न तालाब एवं खोदा गया तालाब बनाने का मुख्य उद्देश्य वर्षा के पानी को रोकना, भूमिगत जलस्तर बढ़ाना, फसलों की सिंचाई, पशुओं के लिए पानी उपलब्ध कराना एवं आजिविका को बढ़ाना है।

- पानी बहाव की धारा की पहचान करें और पानी के आगम/निर्गम का ध्यान रखें।
- इनलेट के पहले गाद को तालाब में जाने से रोकने के लिए गाद गड्ढा बनाए ताकि कृषि/बागवानी इत्यादि के सिंचाई के काम आ सके।
- तालाब का जलग्रहण का क्षेत्र मानक के आधार पर लेना चाहिए।
- तालाब उथला बनाने के बजाय गहरा बनाना बेहतर होता है।

**वृक्षारोपण**–वृक्षारोपण फलदार पेड़, एग्रो फारेस्ट्री एवं पल्पवुड के समर्थन को बढ़ावा देना चाहिए। छोटे एवं सीमान्त किसान को बढ़ावा देना चाहिए जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। सड़क के किनारे वृक्षारोपण से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है। वृक्षारोपण पूर्व से पश्चिम दिशा में लगाएं और ब्लाक विधि से प्लांटेशन करें।

**कंपोस्ट गड्ढे**– कंपोस्ट जैविक सामग्री से निकले हुए सभी तरह के कचरे को उच्च गुणवत्ता के उर्वरक में बदलने का प्रभावी तरीका है। गांव में कृषि अवशेष एवं अपशिष्ट को ध्यान में रखकर कार्य योजना बनाएं।

**भूमि विकास**– गांव का बंजर जमीन, विशेष रूप से वंचित वर्ग की गैर कृषि योग्य भूमि में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए विभिन्न तरह के तकनीक व प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। भूमि का समतलीकरण एवं तालाब के गाद के इस्तेमाल से भूमि विकास किया जाता है। इस तरह के विकास कार्य के लिए मेड़बंधी एवं बागवानी साथ में लेने से ज्यादा लाभ होगा।

**बोल्डर बांध**–पर्वत से घाटी तक जल निकासी के साथ जल संरक्षण उपचार के लिए किया जाता है। बोल्डर बांध वहां बनाने चाहिए जहां पर बोल्डर जरूरत के आकार में बड़े पैमाने पर उपलबध हो।

- बोल्डर चेक श्रृंखलाबद्व रूप से बनाने चाहिए। बोल्डर चेक के आयात 1 मी ऊंचाई 40 सेमी. चौडी अपस्ट्रीम ढलान 1:1 एवं डाउनस्ट्रीम 3:1 होना चाहिए।
- बांध की ऊंचाई जमीन स्तर से 50 सेमी से 1 मी रखना चाहिए। नांव के 30 सेमी हल्की गहराई बनाकर बोल्डर का बांध बनाये।
- क्रमशः छोटे पत्थर को बीच में एवं बड़े पत्थर को उसके पश्चात् लगाते हुए समलम्बकार आकार बनावें।

- उपरी ढलान 1:1 से कम न रखें तथा निचले हिस्से की ढलान 3:1 से कम न रखे।
- बांध के उपरी भाग की चौड़ाई 50–60 सेमी रखें।

**मिट्टी के बड़े बांध–** किसी बांध की ओर से जल भंडारण के लिए बनाई गई जगह को जल भंडारण क्षमता कहते हैं। जिस क्षेत्र से बांध पानी जमाव करता है उसे जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं।

- बांध के बाहरी भाग पर चिकनी मिट्टी का उपयोग न करें जो कि अत्याधिक धुल कर बह जाता है।
- बांध के कोर दीवार को पूरे जल–भराव तक मत उठावें।
- निकासी नाली का ढलान बहुत अधिक नहीं हो।
- बांध के नीचे ओर चट्टान/पत्थर का उपयोग करना चाहिए जिससे रिसाव की समस्या से बांध को नुकसान न हो।

**चेकडैम–** भूजल स्तर को रिचार्ज करने का कार्य है। इसमें पक्का संरचना बनाने से पूर्व संरचना की डिजाईनिंग अनिवार्य है।

**आहर पाईन–** तल की ढ़लाई के आधार पर सिंचाई एवं ड्रेनेज चैनल का निर्माण करना, हेड टू टेल पर जल संरक्षण एवं निकासी करते हैं।

- क्षेत्र ढ़ाल को पूरी तरह माप करना चाहिए, आउटलेट देना चाहिए।
- पाईन के दोनों तरफ सुबबूल के पौधे लगाना चाहिए।
- नाली आमतौर पर समलम्बकार बनाना चाहिए।
- ढ़लान के पार में नाली का निर्माण 0.5 प्रतिशत की ढ़लान के साथ नाली/पाईन का निर्माण करें। नाली के बाहर में धास लगा सकते हैं जिससे ज्यादा मजबूत होगी।

## समाधान की प्रक्रिया (सामुहिक अभ्यास)

प्रशिक्षण के पश्चात 4 से 5 समूहों में विभिन्न विभाग के कर्मचारियों को बैठाया जाएगा, जिसकी कुल समय सीमा 45 मिनट रहेगी। समूह के अंतर्गत पंचायत स्तरीय हितग्राहियों का चयन, योजनाओं का निर्धारण एवं जलवायु अनुरूप ढ़ांचा तैयार करना होगा।

## समूह कार्य

इस समूह का मुख्य उद्देश्य, लेबर बजट बनाने का तरीका, प्राकृतिक संसाधन कार्य की प्राथमिकता एवं कार्य नियोजन में लोगों की भागीदारी का पता लगाना है।

**********